



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 5-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021 (MAGHA 13, 1942 SAKA)

PART III

Notifications by High Court, Advertisement, Notices and Change of Name etc.

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

शक्ति भवन, सैक्टर-6, पंचकूला-134109

सार्वजनिक सूचना

दिनांक 29 जनवरी, 2021

अनुबन्ध-ए

Ch- 73 /DS(P)-113/Vol-V.—

आम जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड हरियाणा में निम्नलिखित प्रसारण लाईन तथा सब-स्टेशन बनाने की जिम्मेवारी लेने का प्रस्ताव रखता है।

प्रसारण लाईन

क्र. सं.	प्रसारण लाईन का विवरण	गांव/गांवों के नाम जिसमें से लाईन गुजर रही है	तहसील तथा जिला	एक्सईएन/टी.एस. डिवीजन
1.	0.4 स्क्वेयर इंच एसीएसआर जेबरा कंडक्टर के साथ 220 केवी सब-स्टेशन सांपला से 132 केवी सब-स्टेशन आसौधा तक डी/सी टावरों पर 132 केवी एस/सी लाईन (लाईन की लम्बाई लगभग 13.69 किलोमीटर)	सांपला, गढ़ी सांपला, सर छोदूराम नगर, खेड़ी सांपला, असन्दा, रोहाद, दहकोड़ा, आसौधा तथा आसौधा टोडरां	तहसील सांपला, जिला रोहतक तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर	रोहतक

मुख्य अभियन्ता/टी.एस. पंचकूला तथा हिसार के अधीन क्षेत्र निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पदनाम	पता	फोन नम्बर
मुख्य अभियन्ता/टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., पंचकूला			
1.	एस.ई./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., रोहतक	132 केवी सब-स्टेशन, आईएमटी रोहतक	9354194812
ए.	एक्स.ई.एन./टी.एस., डिवीजन, एच.वी.पी.एन.एल., रोहतक	132 केवी सब-स्टेशन, एमडीयू रोहतक	01262-280213 9354194806

इन प्रसारण प्रणालियों को चालू करने से, घरेलू उपभोक्ताओं को प्रशंसनीय राहत के अतिरिक्त, हरियाणा में कृषि एवं उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा।

यह अधिसूचित किया जाता है कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) स्वीकृत स्कीम/कार्यों को जिम्मेवारी से पूरा कर रहा है तथा कार्यों के उचित तालमेल के लिए आवश्यक टेलीफोनिक अथवा टेलीग्राफिक कम्यूनिकेशन के उद्देश्य हेतु अथवा बिजली प्रसारण के लिए अनुरक्षित अथवा इस प्रकार से स्थापित अथवा अनुरक्षित अथवा स्थापित इलैक्ट्रिकल लाईन तथा इलैक्ट्रिकल प्लांटों के संबंध में, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 (1885 का 13) के भाग-III के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा पारित सभी शक्तियों सहित हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रदत्त, बिजली अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 164 के तहत सभी शक्तियां एच.वी.पी.एन.एल. के पास होंगी।

तदनुसार, कार्यों के उचित तालमेल के लिए आवश्यक टेलीफोनिक अथवा टेलीग्राफिक कम्यूनिकेशन के उद्देश्य हेतु किसी भी अचल संपत्ति के नीचे, ऊपर, इसके साथ अथवा आर-पार पोस्टों में अथवा इनके ऊपर इलैक्ट्रिकल लाईन अथवा इलैक्ट्रिकल प्लांट लगाना तथा रख-रखाव करना, टेलीग्राफ लाईन बिछाने तथा स्थापित अथवा अनुरक्षित करने अथवा इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित की जाने वाली पोस्ट से संबंधित भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 (1885 का 13) के टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करना एच.वी.पी.एन.एल. में भी निहित है।

निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) द्वारा स्कीम में पूर्वोक्त कार्यों का क्रियान्वयन/मंजूरी हरियाणा सरकार के सरकारी गजट तथा दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करके आम जनता को सूचित करने के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

एच.वी.पी.एन.एल. अधिसूचित की जा रही लिस्ट को बढ़ाने/सुधार करने अथवा संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अधिसूचित सूची में अब तक के स्वीकृत कार्य शामिल हैं। कोई भी नया स्वीकृत कार्य उत्तरवर्ती सूची में अधिसूचित किया जाएगा।

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कोई भी लाईसेंसी अथवा इच्छुक अन्य व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन के 2 महीनों के अन्दर उपरोक्त स्कीम पर कोई भी आपत्ति उठा सकता है तथा/अथवा प्रस्तुतिकरण दे सकता है, इसके बाद किसी और आपत्ति तथा/अथवा प्रस्तुतिकरण पर विचार नहीं किया जाएगा तथा यह स्कीम निगम द्वारा संशोधन के बिना अथवा के साथ स्वीकृत मानी जाएगी।

सूचक प्रसारण लाईन रूटों को दर्शाने वाली आवश्यक योजनाओं को उपरोक्त सूचीबद्ध एच.वी.पी.एन.एल. की संबंधित टी/एस डिवीजन में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है। आपत्ति तथा/अथवा प्रस्तुतिकरण, यदि कोई है, तो अधोहस्ताक्षरी को भेजी जानी चाहिए।

(हस्ता/)...,

उप-सचिव/परियोजना

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड,
शक्ति भवन, सैक्टर-6, पंचकुला।

HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.

Shakti Bhawan, Sector-6, Panchkula-134109

PUBLIC NOTICE

Dated 29th January, 2021

Annexure-A

Ch- 73 /DS(P)-113/Vol-V.—

It is hereby notified for information of general public that Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited proposes to undertake the construction of following Transmission line and Sub Stations in Haryana.

TRANSMISSION LINES

Sr. No.	Description of Transmission Line	Name of village/villages in which line is passing	Tehsil and District	XEN/TS Division
1	132KV S/C line on D/C Towers from 220 KV S/Stn. Sampla to 132 KV S/Stn. Assaudha with 0.4 sq. inch ACSR Zebra Conductor. (line length approximate 13.69 KM).	Sampla, Garhi Sampla, Sir Chhoturam Nagar, Kheri Sampla Asanda, Rohad, Dahkora, Assaudha & Assaudha Todran	Tehsil-Sampla, District-Rohtak Tehsil-Bahadurgarh, District-Jhajjar	Rohtak

The area under CE/TS Panchkula and Hisar is as under :-

Sr. No.	Designation	Address	Phone No
C.E/TS, HVPNL, Panchkula			
1.	SE/TS Circle, HVPNL, Rohtak	132 kV S/Stn. IMT Rohtak	9354194812
A	XEN/TS Division, HVPNL, Rohtak	132 kV S/Stn. MDU Rohtak	01262-280213 9354194806

With the commissioning of these transmission systems, there will be a big boost to Agriculture & Industry in Haryana, besides appreciable relief to domestic consumers.

It is hereby notified that the Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited (HVPNL) is undertaking and executing the sanctioned scheme/works and shall have the powers under section 164 of the electricity Act, 2003 (36 of 2003), conferred by the Governor of Haryana to HVPNL with all the powers possessed by the telegraph authority under part-III of the Indian Telegraphs Act, 1885 (13 of 1885), in respect of electrical lines and electrical plants established or maintained, or to be so established or maintained for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communication necessary for the proper coordination of the works.

Accordingly, placing and maintaining of electrical lines or electrical plants under, over, along or across posts in or upon any immovable property for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for proper coordination of the works, the vesting and exercise of the powers of the telegraph authority of the Indian Telegraphs Act, 1885 (13 of 1885), with respect to the placing of the telegraph line and post established or maintained or to be so established or maintained stands conferred on the HVPNL.

The sanction / execution of the aforesaid works in the scheme by the Nigam Limited (HVPNL) is hereby notified for the information of general public by the publication in the Official Gazette of Haryana Government and in two numbers leading local dailies.

HVPNL reserves the right to augment / modify or amend the list being notified. The list as notified covers the works approved so far. Any new works approved will be notified in subsequent list.

Notice is hereby given that any licensee or other person interested may raise any objection and / or may make representation upon the above scheme within 2 months of the publication of this notification, after which no further objection and / or representation shall be entertained and the scheme shall be deemed to be sanctioned with or without modification by the Nigam.

Necessary plans showing the indicative transmission line routes may be seen on any working day **in the concerned T/S Division of HVPNL** listed above. Objection and / or representation, if any, should be sent to the undersigned.

[30-1]

(Sd/.)...,
Deputy Secretary/Projects,
Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited,
Shakti Bhawan, Sector-6, Panchkula.